न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट धीरोडा)

वाद संख्या :— 02/97/2015

नाथू बनाम प्रभात वगैरा

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 29.05.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट धीरोडा पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 30.06.2009 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 1093/2.15 है. में से 1.25 है. वाके ग्राम धीरोडा तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 30.06.2009 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी से प्रार्थी को जबरन बेदखल न करें व प्रार्थी के कार्यकाश्त में रूकावट मजाहमत न करें तथा आराजी को जरिये रहन बय द्वारा दीगर जगह मुन्तकिल न करें तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से दिनांक 14.02.2011 को उपस्थित न्यायालय होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में टी.आई. आदेश वर्ष 2009 से प्रभावी चल रहा है जिसे करीब 9 वर्ष का समय हो गया है। इसलिए प्रकरण में पूर्व टी.आई. आदेश दिनांक 30.06.2009 को ताफैसला दावा स्थाई किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 1093/2.15 है. में से 1.25 है. वाके ग्राम धीरोडा तहसील राजगढ स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 30.06.2009 ताफैसला दावा स्थाई किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 29.05.2018 कैम्प कोर्ट धीरोडा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट धीरोडा)